न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–76/1995

अब्दुल मनान एवं अन्य...वादीगण

बनाम

जगदीश सिंह एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
21.01.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष की ओर से अन्दर दफा 151 व्य0प्र0सं0 दिनांक 21.01.2026 को एक आवेदन दाखिल किया गया जिसे उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी के तरफ से मो0 कामिल, राजीव कुमार ओझा, ओबैदुल्लाह, अब्दुल बारी, इद्रीश देवान, मो0 नसीम साक्षियों की गवाही करायी गई है। प्रस्तुत साक्षियों का मुख्य परीक्षण दो बार करायी गयी है। वादी साक्षी म0 कामिल का पहला मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्ष्ज्ञण दिनांक 01.12.2018 को हुआ था और पुनः उसी गवाह का दुसरा मुख्य परीक्षण दिनांक 12.01.2009 को हुआ है। वादी साक्षी ओबैदुल्लाह का मुख्य परीक्षण दिनांक 02.04.2009 को एवं पुनः दुसरी बार दिनांक 21.04.2011 को भी मुख्य परीक्षण हुआ। वादी साक्षी अब्दुल बारी का पहला मुख्य परीक्षण दिनांक 04.01.2001 को हुआ तथा पुनः दुसरी बार दिनांक 07.08.2009 को भी मुख्य परीक्षण हुआ है। वादी साक्षी इद्रीश देवान का पहला मुख्य परीक्षण दिनांक 23.07.2001 को हुआ एवं दुसरा मुख्य परीक्षण दिनांक 05.08.2009 को हुआ। वादी साक्षी म0 नसीम का मुख्य परीक्षण दिनांक 05.11.2009 को एवं दूसरा दिनांक 16.11.2010 को भी मुख्य परीक्षण हुआ। उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को पक्षकार बनाया गया है परन्तु इन सभी साक्षियों का पूर्व में ही साक्ष्य ग्रहण किया जा चुका था। वादी के साक्षियों को दोनों मुख्य परीक्षण में भिन्नता होने के कारण किसी एक मुख्य परीक्षण को स्वीकार करना आवश्यक है। अन्यथा भिन्नता के कारण न्याय निर्णय में गंभीर कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आवेदन पत्र के आलोक में आदेश निर्गत करने की कृपा प्रदान करें।	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–76/1995

अब्दुल मनान एवं अन्य...वादीगण

बनाम

जगदीश सिंह एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **21.01.2026**	वादी की ओर से प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 20.01.2026 को दाखिल किया गया एवं कथन किया गया कि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष का आवेदन बनावटी और बेबुनियाद है जो खारिज होने योग्य है। वादी साक्षी मो0 मामिल का मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण दिनांक 01.12.2008 को हुआ जबकि दिनांक 12.09.2001 के मुख्य परीक्षण में गवाह का प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। वादी साक्षी राजीव कुमार ओझा का मुख्य परीक्षण दिनांक 19.01.2001 को हुआ जिसका प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ तथा बाद में दिनांक 31.01.2009 को मुख्य परीक्षण एवं प्रति परीक्षण हुआ। वादी साक्षी ओबैदुल्लाह का मुख्य परीक्षण दिनांक 02.04.2009 को हुआ लेकिन प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ तथा पुनः दिनांक 21.04.2011 को मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हुआ। वादी साक्षी अब्दुल बारी का मुख्य परीक्षण दिनांक 04.01.2001 को हुआ एवं आंशिक प्रतिपरीक्षण हुआ और दिनांक 08.07.2009 को मुख्य परीक्षण एवं प्रति परीक्षण हुआ। वादी साक्षी इदरीश देवान का मुख्य परीख्ज्ञण दिनांक 23.07.2001 को हुआ लेकिन प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ तथा बाद में दिनांक 05.08.2009 को मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हुआ। वादी साक्षी म0 नसीम का मुख्य परीक्षण दिनांक 05.11.2009 को हुआ लेकिन प्रति परीक्षण नहीं हुआ तथा बाद में दिनांक 16.11.2010 को मुख्य परीक्षण हुआ। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने यह आवेदन केवल वाद को लंबित रखने हेतु दाखिल किया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त तथ्यों के आलोक में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष का आवेदन खारिज करने की कृपा करें। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादी बहस हेतु नियत है। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष द्वारा एक आवेदन दिनांक 13.01.2026 को दाखिल किया गया तथा निवेदन किया गया है कि आवेदन में	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–76/1995

अब्दुल मनान एवं अन्य...वादीगण

बनाम

जगदीश सिंह एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **21.01.2026**	वर्णित वादी के साक्षियों का दोनों मुख्य परीक्षण में भिन्नता होने के कारण किसी एक मुख्य परीक्षण को स्वीकार करने का आदेश दिया जाए। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आवेदन में वर्णित साक्षियों की गवाही दो बार हो चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष का आवेदन न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष का आवेदन दिनांक 13.01.2026 को स्वीकृत किया जाता है एवं वादी साक्षी मो0 कामिल का दिनांक 01.12.2008 की गवाही, वादी साक्षी राजीव कुमार ओझा का दिनांक दिनांक 03.01.2009 की गवाही, वादी साक्षी ओबैदुल्लाह का दिनांक 21.04.2011 की गवाही, वादी साक्षी अब्दुल बारी का दिनांक 08.07.2009 की गवाही, वादी साक्षी इदरीश देवान का दिनांक 05.08.2009 की गवाही एवं वादी साक्षी म0 नसीम का दिनांक 16.11.2010 की गवाही को स्वीकृत किया जाता है एवं उक्त साक्षियों के अन्य तिथियों की गवाही को एक्सपंज किया जाता है। आगामी दिनांक 22.01.2026 को सुनवाई हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	